

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या-720 / 2023 / XXVII(9) / स्टाम्प-42 / 2008

देहरादून: दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 और धारा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्:-

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 2 का संशोधन
- उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ)- "ई-स्टाम्प" से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है।	(झ)-"ई-स्टाम्प" से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है और इसमें डिमैटरियलाइज्ड प्रारूप में डिजिटल ई-स्टाम्प सम्मिलित है।

- नियम 25 का संशोधन
- मूल नियमावली के नियम, 25 के उपनियम (3)के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-
- "(4) जहां डिजिटल ई-स्टाम्प जारी किया जाना है, वहां, यह, केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, आवेदक को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप

में एवं रीति से जारी एवं पारेषित किया जायेगा।”

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 24-04-2023 19:09:56

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

सं०-७२० (१) / XXVII(9)/स्टाम्प-42 / 2008 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनोंपरान्त 100-100 प्रतियों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)

अपर सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 720/2023/ XXVII(9)/ Stamp-42/2008, Dehradun:: dated April, 2023 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 720/2023/XXVII(9)/ Stamp-42/2008
Dehradun: dated: 24 April, 2023
Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Section 74 and Section 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011.

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF e-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and Commencement	1	(1)The Uttarakhand Stamp (Payment of Duty By Means of e-Stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2023. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Rule 2	2	In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rules), the existing clause (i) of subrule(1) of rule 2 as set out in column 1 below, the rule set out in column-2, shall be substituted as follows, namely:-

Column-I Existing rule	Column-II rule as hereby substituted
(i)-"e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty.	(i)-"e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty and includes digital E-Stamp in a dematerialised format.

Amendment of Rule 25	3.	In the principal rule, After sub-rule (3) of rule 25 the following sub-rule shall be inserted, namely :- “(4) Where digital e-Stamp is to be issued it shall be issued and transmitted to the applicant by Central Record Keeping Agency (CRA) in the format and manner prescribed by the Appointing Authority.”
-----------------------------	-----------	---

By order,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 24-04-2023 12:30:39